

क.सं.	जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के लिए निर्धारित प्रारूपों की विषय सूची
1	दिनांक 01-01-2013 से समीक्षा के माह तक घटित हत्या, रोड होल्डअप, डकैती, लूट, चैन स्टेचिंग, नकबजनी, चोरी एवं वाहन चोरी की घटनाओं में कृत कार्यवाही का विवरण।
2	लम्बित विवेचनाओं का विवरण।
3	एस0आर0 केसेज की विवेचना के निस्तारण की स्थिति।
4	वाञ्छित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण-
5	दिनांक 01-01-2013 से समीक्षा माह तक धारा 363/364/364ए/365 भा0द0वि0 के अभियोग जिनमें अपहृत/गुमशुदा नाबालिग है, का विवरण।
5 ए	दिनांक 01-01-2013 से समीक्षा माह तक धारा 363/364/364ए/365 भा0द0वि0 के अभियोग जिनमें अपहृत/गुमशुदा नाबालिग है का विवरण।
6	POCSO Act 2012 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण।
7	जनपद में पंजीकृत शैनों/पुरस्कार घोषित अपराधियों/माफियाओं/मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
8	दिनांक: 01.01.2013 से माह तक निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण।
9	क्षेत्राधिकारी के पास लम्बित विवेचनाओं का विवरण।
10	महिला सम्बन्धी घटनाओं यथा हत्या,बलात्कार,छेड़खानी, तेजाब फेंकना, पीछा करना, आदि में कृत कार्यवाही का विवरण।
11	एससी/एसटी एक्ट सम्बन्धी घटनाओं यथा हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, गम्भीर चोट,आगजनी आदि में कृत कार्यवाही का विवरण।
12	राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण हेतु किये गये अर्दली रुम का विवरण (वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक सहित)
13	चिन्हित रंजिश /विवादों के प्रकरण में भ्रमण एवं कृत कार्यवाही का विवरण।
14	संवेदनशील अपराधों के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा घटना के पूर्व की गयी निरोधात्मक कार्यवाही।
15	साम्प्रदायिक/जातिगत तनाव सम्बन्धी घटनायें।
16	माह में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण।
17	मालों का निस्तारण।
18	विधि विज्ञान टीम /अत्याधुनिक वैज्ञानिक संसाधन की कार्यवाही।
19	माह में पुलिस लाइन की साप्ताहिक परेड़ परिसर का भ्रमण तथा आदेश कक्ष का विवरण।
20	माह में दंगा नियन्त्रण स्कीम/न्यायालय की सुरक्षा ड्रिल के अभ्यास का विवरण।
21	लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्र। मानवाधिकार/महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/शासन/डीजीपी/आईजी/डीआईजी/जन शिकायत/अन्य।
21 ए	लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्र। थाना/तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों का विवरण।
22	प्रारम्भिक जॉच/14(1)/14(2) की विभागीय कार्यवाही।
23	अनुपस्थिति/निलम्बन/मृतक आश्रित भर्ती/लम्बित चिकित्सा प्रतिपूति/पैशन प्रकरण/जीवन रक्षक निधि से सम्बन्धित लम्बित पत्रावलियों का विवरण।
24	नियंत्रण कक्ष।
25	निम्नांकित बिन्दुओं पर एक रनिंग नोट भी प्रस्तुत किया जाए।



**2-लम्बित विवेचनाओं का विवरण।**

अपर पुलिस अधीक्षक		माह के प्रारम्भ में लम्बित	माह में बढ़ी	योग 2+3	माह में निस्तारित	माह के अन्त में शेष विवेचना					कुल योग का विवरण			
						03 माह तक के अवधि की	03 से 06 माह के अवधि की	06 माह से अधिक की	01 वर्ष से अधिक	कुल योग	पार्ट पीआई	अग्रिम* विवेचना	सागान्ध विवेचना	
						5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10-11)	
	क्षेत्राधिकारी-1													
	क्षेत्राधिकारी-2													
	योग													

\*173(8) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अथवा न्यायालय के द्वारा आदेशित अग्रिम विवेचना।

नोट- (1) यह सुनिश्चित किया जाय कि 156(3)सीआरपीसी व स्थानान्तरित विवेचनाओं का भी समावेश उपरोक्त तालिका में है।

- (2) मफरूरी में चालान करके विवेचना पार्ट पी.आई. करने से पूर्व अभियुक्त के विरुद्ध 299 द0प्र0सं0 की कार्यवाही के लिए आख्या न्यायालय प्रेषित व पुरस्कार घोषित अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- (3) केवल वही विवेचना निस्तारित समझी जाएँ जिसमें आरोप पत्र और अन्तिम रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से न्यायालय दाखिल कर दी गयी हो।

3-एस0आर0 केसेज की विवेचना के निस्तारण की स्थिति।

अपर पुलिस अधीक्षक	सर्किल	माह के प्रारम्भ में लम्बित विवेचना	माह में बढ़ी	कुल विवेचना	माह में निस्तारित विवेचना			माह के अन्त में शेष				
					सी0एस0	खारिज	एफ0आर0	03 माह तक के अवधि की	03 से 06 माह के अवधि की	06 माह से अधिक की	01 वर्ष से अधिक	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी-1											
	क्षेत्राधिकारी-2											
कुल योग												

\*173(8) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अथवा न्यायालय के द्वारा आदेशित अग्रिम विवेचना।

नोट- (1) यह सुनिश्चित किया जाय कि 156(3)सीआरपीसी व स्थानान्तरित विवेचनाओं का भी समावेश उपरोक्त तालिका में है।

- (2) मफरूरी में चालान करके विवेचना पार्ट पी.आई. करने से पूर्व अभियुक्त के विरुद्ध 299 द0प्र0सं0 की कार्यवाही के लिए आख्या न्यायालय प्रेषित व पुरस्कार घोषित अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- (3) केवल वही विवेचना निस्तारित समझी जाएँ जिसमें आरोप पत्र और अन्तिम रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से न्यायालय दाखिल कर दी गयी हो।





5ए-दिनांक 01-01-2013 से समीक्षा माह तक धारा 363/364/364ए/365/366 भा0द0वि0 के अभियोग जिनमें अपहृत/गुमशुदा नाबालिग है, का विवरण।

अपर पुलिस अधीक्षक	सर्किल	गुमशुदा/अपहृत बच्चों की संख्या	माह में बढे	माह में बरामद	बरामदगी हेतु शेष
1	2	3	4	5	6
अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी-1				
	क्षेत्राधिकारी-2				
योग					

**6-POCSO Act 2012\* के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का विवरण।**

अपर पुलिस अधीक्षक	सर्किल	घटनाओं की संख्या	नामजद अभियुक्तों की सं०	प्रकाश में आये अभियुक्तों की सं०	कुल अभियुक्तों की सं०	गिर	हाउआउ	नामजदगी मालत	82 / 83	गिरा हेतु शेष	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट	चिद्वेचनार्थीन	अन्य कार्यवाही			
														गुण्डा एक्ट	राशुका	गैंगरटर एक्ट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी-1	बलात्कार के साथ हत्या															
		धारा 4															
		धारा 6															
		अन्य धारा															
	क्षेत्राधिकारी-2	बलात्कार के साथ हत्या															
		धारा 4															
		धारा 6															
		अन्य धारा															
योग																	

नोट-यदि बलात्कार के साथ हत्या हुई है तो धारा 4, 6 POCSO Act 2012 के साथ 376ए भादवि की धाराएँ लगेंगी। ऐसी दशा में इस घटना का उल्लेख बलात्कार के साथ हत्या वाली लाइन में किया जाय। धारा 4, 6 व अन्य धारा में उन धाराओं का उल्लेख हो जिनमें नाबालिग की हत्या नहीं हुई है।

\* Protection of Children against Sexual Offences Act 2012



7-जनपद में पंजीकृत गैंगों/पुरस्कार घोषित अपराधियों/माफियाओं/मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

नाम पता चिह्नित अपराधी	श्रेणी	कार्यवाही*							शेष
		गिर0	हा0अ0	मृत	गुण्डा एक्ट	गैंगस्टर एक्ट	सम्पति जब्ती करण	एनएसए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\* नोट: जिस थाने द्वारा कार्यवाही की गयी है, उसका नाम कालम में अंकित किया जायेगा।

8-दिनांक: 01.01.2013 से माह तक निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण।

अपर पुलिस अधीक्षक	सर्किल	गुण्डा एक्ट			रैगस्टर एक्ट		रा.सु.का.	
		माह के पूर्व कुल	माह में पंजीकृत	माह में जिला बदर	माह के पूर्व कुल	माह में पंजीकृत	माह के पूर्व कुल	माह में पंजीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी-1							
	क्षेत्राधिकारी-2							
योग								

## 9- क्षेत्राधिकारी के पास लम्बित विवेचनाओं का विवरण।

माह के प्रारम्भ में लम्बित	माह में बढ़ी	योग 2+3	माह में निस्तारित	माह के अन्त में शेष विवेचना					कुल योग का विवरण			
				03 माह तक के अवधि की	03 से 06 माह के अवधि की	06 माह से अधिक की	01 वर्ष से अधिक	कुल योग	पार्ट पीआई	अग्रिम विवेचना	सामान्य विवेचना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

\*173(8) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अथवा न्यायालय के द्वारा आदेशित अग्रिम विवेचना।

नोट- (1) यह सुनिश्चित किया जाय कि 156(3)सीआरपीसी व स्थानान्तरित विवेचनाओं का भी समावेश उपरोक्त तालिका में है।

- (2) मफरूरी में चालान करके विवेचना पार्ट पी.आई. करने से पूर्व अभियुक्त के विरुद्ध 299 द0प्र0सं0 की कार्यवाही के लिए आख्या न्यायालय प्रेषित व पुरस्कार घोषित अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- (3) केवल वही विवेचना निस्तारित समझी जाएँ जिसमें आरोप पत्र और अन्तिम रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से न्यायालय दाखिल कर दी गयी हो।

**10-महिला सम्बन्धी घटनाओं यथा हत्या,बलात्कार,छेड़खानी,तेजाब फैंकना,पीछा करना, आदि में कृत कार्यवाही का विवरण।**

अपराध शीर्षक	घटनाओं की संख्या	नामजद अभियुक्तों की सं०	प्रकाश में आये अभियुक्तों की सं०	कुल अभियुक्तों की सं०	गिर	हा०अ०	नामजदगी गलत	82 / 83	गिर० हेतु शेष	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	अन्य कार्यवाही	
													गुण्डा एक्ट	रासुका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
हत्या														
बलात्कार के साथ हत्या														
376 भादवि														
376 ए भादवि														
376 बी भादवि														
376 सी भादवि														
376 डी भादवि														
354 भादवि														
354 ए भादवि														
354 बी भादवि														
354 सी भादवि														
354 डी भादवि														
326 ए भादवि														
326 बी भादवि														
509 भादवि														

**नोट:-**

1. प्रत्येक अधिकारी के लिए अलग से शीट संलग्न की जाये।
2. यदि महिला के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी हत्या होती है तो उस घटना का उल्लेख "बलात्कार के साथ हत्या" वाली लाइन में किया जायेगा। यदि बलात्कार में पहुँचाई गयी चोटों के कारण महिला की मृत्यु हुई है तो उसका उल्लेख 376ए भादवि की लाइन में किया जायेगा।

11-एससी/एसटी एक्ट सम्बन्धी घटनाओं यथा हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, गम्भीर चोट,आगजनी आदि में कृत कार्यवाही का विवरण।

अपराध शीर्षक	घटनाओं की संख्या	नामजद अभियुक्तों की सं०	प्रकाश में आये अभियुक्तों की सं०	कुल अभियुक्तों की सं०	गिर	हा०अ०	नामजदगी गलत	82 / 83	गिर० हेतु शेष	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन	अन्य कार्यवाही		
													गुण्डा एक्ट	रासुका	गैंगस्टर एक्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
हत्या															
307 भा.द.वि.															
बलात्कार															
गम्भीर चोट															
आगजनी															

नोट: प्रत्येक अधिकारी के लिए अलग शीट बनेगी।

12-राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण हेतु किये गये अर्दली रूम का विवरण  
(वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक सहित)

जनपद	नाम अधिकारी	ओ0आर0 का दिनांक	नाम थाना / क्षेत्र जिसका ओ0आर0 किया गया	पुरस्कार हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मी	कर्मी जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6

नोट- राजपत्रित अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह अर्दली रूम के दौरान विवेचक के विवेचना रजिस्टर व केश जायरी जिल्द का अवलोकन करेंगे और यह सुनिश्चित कर लेंगे कि थाने की आरोप पत्र और अन्तिम रिपोर्ट जिल्द अद्यावधिक हो।

13-चिन्हित रंजिश /विवादों के प्रकरण में भ्रमण एवं कृत कार्यवाही का विवरण।

A

चिन्हित प्रकरणों की संख्या			समाधान के प्रयास का विवरण			शेष प्रकरणों की सं०
पूर्व के	माह में	योग	समझौता की सं०	निरोधात्मक कार्यवाही की सं० (107/116 आदि)	पाबन्द प्रकरण की सं०	
1	2	3	4	5	6	7

B

अधिकारी	उपरोक्त प्रकरणों में माह में भ्रमण की तिथियाँ
पुलिस अधीक्षक	
अपर पुलिस अधीक्षक	
क्षेत्राधिकारी-1	
क्षेत्राधिकारी-2	
थानाध्यक्ष-1	
थानाध्यक्ष-2	

14--संवेदनशील अपराधों के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा घटना के पूर्व की गयी निरोधात्मक कार्यवाही

अपराध	घटनाओं की संख्या	प्रकरण जिनमें पूर्व रजिस्ट्रि पायी गयी	थाने द्वारा घटना से पूर्व क्या कार्यवाही की गयी थी			उच्च स्तर से की गयी कार्यवाही	
			घटना के पूर्व में किये भ्रमण की संख्या	107 / 116 / 116(3)	राजस्व अधिकारी के साथ भ्रमण	कितने प्रकरणों में थानाध्यक्ष द्वारा रजिस्ट्रि चिहित न करने के कारण प्रारम्भिक जाँच की गयी	कितने प्रकरणों में दण्ड दिया गया।
1	2	3	4	5	6	7	8
हत्या / 304 भा.द.वि.							
हत्या / 304 भा.द.वि.के साथ बलवा							
307 / 308 भा.द.वि.							
307 / 308 भा.द.वि. के साथ बलवा							





16-माह में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण।

निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम पद	निरीक्षण थाना / चौकी / लाइन / विभिन्न शाखा	निरीक्षण का प्रकार (दिनांक)					थानाध्यक्ष के मासिक निरीक्षण की अनुपालन आख्या का मुल्यांकन	निरीक्षण में पाये गये उल्लेखनीय बिन्दु
		वार्षिक	अर्द्ध वार्षिक	तैमासिक	मासिक	आकस्मिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।

- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।
- निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना है, जो कि निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु हैं।

1. इस प्राण्य के कालम-2 में उन सभी गावों के नाम व पते अधिकारिकों को ज्ञान दिये जायेंगे जिनके बयान के आधार पर अधिकारिकों के निरूपण पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।
2. गांधी मुक्तम के बयानों का निरूपण भी भाग-2 में अधिकारिकों को ज्ञान दिये जायेंगे।
3. प्राण्य के कालम-4 में यदि गांधी का भाग 164 एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत बयान दिये गये हैं तो (N/V) (अव्यक्तता नहीं) अधिकारिकों को ज्ञान दिये जायेंगे।
4. प्राण्य के कालम-5 में "गांधी के शीघ्र बयान" जिन प्रकार लिखा जायेंगे।

नवीन फार्म-3 में गांधी का निरूपण के अंकन की व्यवस्था

प्रशासनिक

नवीन फार्म-2 में फारमिक निरूपण के अंकन की व्यवस्था

- यदि अधिकारिकों द्वारा कोई भी गाँव व डकैती नहीं की गयी है तो उस स्थिति के नाम के सामने N/(N/A) (अव्यक्तता नहीं) लिखा जायेगा।
- यदि अधिकारिकों द्वारा कोई भी गाँव व डकैती की गयी है परन्तु गाँव का नाम बयान में नहीं दिया है तो उसे व्यक्तिक के अंकन में लिखा जायेगा।









21-लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्र।

मानवाधिकार/महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/शासन/डीजीपी/आईजी/डीआईजी/जन शिकायत/अन्य।

स्रोत	माह के प्रारम्भ में शि०प्र० पत्र की सं०	माह में बढ़े शि०प्र० पत्र की सं०	कुल शि०प्र० पत्र की सं०	माह में निस्तारित शि०प्र० पत्र की सं०	माह के अन्त में शेष शि०प्र० पत्र की सं०			
					01 से 03 महा तक के	03 से 06 माह तक के	06 माह से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मानवाधिकार								
महिला आयोग								
एससी/एसटी आयोग								
शासन								
डीजीपी								
आईजी								
डीआईजी								
शिकायत प्रकोष्ठ								
विशेष जॉय प्रकोष्ठ								
अन्य								
योग								

नोट: प्रत्येक अधिकारी के लिए अगल शीट बनेगी।

21A-लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्र।

थाना/तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों का विवरण।

थाना	माह के प्रारम्भ में शि0प्र0 पत्र की सं0		माह में बढे शि0प्र0 पत्र की सं0		कुल शि0प्र0 पत्र की सं0		माह में निस्तारित शि0प्र0 पत्र की सं0		माह के अन्त में शेष	
	थाना दिवस	तहसील दिवस	थाना दिवस	तहसील दिवस	थाना दिवस	तहसील दिवस	थाना दिवस	तहसील दिवस	थाना दिवस	तहसील दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11







## 24-नियंत्रण कक्ष

काल का प्रकार	संख्या	रिसेिव काल पर की गयी कार्यवाही			
		FIR/NCR	समझौता	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी	शेष
1	2	3	4	5	6
क्राइम से सम्बन्धित					
महिला छेडछाड़					
यातायात					
आगजनी					
फर्जी काल (परेशान करने की नियत से)					
पारिवारिक कलह					
वरिष्ठ नागरिक सम्बन्धी					
अन्य					
योग					

**25- निम्नांकित बिन्दुओ पर एक रनिंग नोट भी प्रस्तुत किया जाए:-**

- 1.अपर पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में लिये गये Communiting Policing Initiatives.
- 2.अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में लिये गये नये व Innovative कदम।